

चौ० ईश्वर सिंह कन्या शिक्षा समिति पंजीकृत - (00214)' फतेहपुर-पूण्डरी (कैथल)

Ref. No. CISKSS/GBE/2026/1-265

दिनांक: 12.10.2026

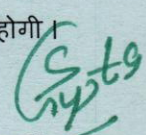
विषय:- शासकीय निकाय (Governing Body) के चार पदाधिकारियों (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव तथा कोषाध्यक्ष) के चुनाव हेतु अधिसूचना।

मान्यवर,

आपको सूचित किया जाता है कि चौ० ईश्वर सिंह कन्या शिक्षा समिति (पंजीकृत) फतेहपुर-पूण्डरी की शासकीय निकाय के चार पदाधिकारियों (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव तथा कोषाध्यक्ष) का चुनाव नीचे लिखे कार्यक्रम के अनुसार चौ० ईश्वर सिंह कन्या महा विद्यालय फतेहपुर-पूण्डरी में होना निश्चित हुआ है:-

कॉलेजियम के निर्वाचित सदस्यों की सूची (वोटर लिस्ट) का नोटिस बोर्ड पर लगाना	16.10.2026 (शुक्रवार)	10 बजे प्रातः
कॉलेजियम के निर्वाचित सदस्यों की सूची (वोटर लिस्ट) में संशोधन के लिए आपत्तियों / ऐतराजों की प्राप्ति (ठोस प्रमाणों के साथ)	16.10.2026 से 04.11.2026 तक (शुक्रवार से बुधवार)	9 बजे प्रातः से सांय 4 बजे तक
आपत्तियों की जांच तथा निर्णय	06.11.2026 व 07.11.2026 (शुक्रवार और शनिवार)	9 बजे प्रातः से सांय 4 बजे तक
संशोधित मतदाता सूची का नोटिस बोर्ड पर लगाना (आवश्यकतानुसार)	09.11.2026 (सोमवार)	10 बजे प्रातः
नामांकन पत्रों को भर कर प्रस्तुत करना	18.11.2026 (बुधवार)	11 बजे प्रातः से दोपहर 2 बजे तक
नामांकन पत्रों की जाँच	19.11.2026 (वीरवार)	11 बजे प्रातः से सांय 4 बजे तक
नाम वापिस लेना	20.11.2026 (शुक्रवार)	10 बजे प्रातः से दोपहर 2 बजे तक
चुनाव चिन्हों का आबंटन	20.11.2026 (शुक्रवार)	दोपहर 2 बजे से सांय 4 बजे तक
चुनाव तिथि	29.11.2026 (रविवार)	9 बजे प्रातः से सांय 5 बजे तक
मतों की गिनती तथा परिणामों की घोषणा	29.11.2026 (रविवार))	मतदान की समाप्ति के बाद

नोट: 1. चुनाव अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा। 2. चुनाव के समय कृपया यह पत्र अपने साथ लाएं। 3. कृपया कोई भी एक फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे CISKSS फतेहपुर-पूण्डरी का पहचान पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि साथ लेकर आएँ अन्यथा मतदान की अनुमति नहीं होगी। 4. कॉलेजियम के निर्वाचित सदस्यों की वोटर लिस्ट की प्रतिलिपि 100 रु. देकर कॉलेजियम का कोई भी निर्वाचित सदस्य किसी भी कार्यदिवस को (CIS KMV PUNDRI) से प्राप्त कर सकता है। 5. एक व्यक्ति केवल एक ही पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। 6. उम्मीदवार अपने नामांकन-पत्र पर निर्वाचित Collegium Members में से 02 प्रस्तावकों (Proposers) एवं 02 अनुमोदकों (Seconders) के हस्ताक्षर करवाकर जमा करवाएँगे। नामांकन जमा करते समय उम्मीदवार सहित दोनों प्रस्तावकों एवं दोनों अनुमोदकों को चुनाव अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर हस्ताक्षर करने होंगे तथा अपने आधार कार्ड की स्व-सत्यापित (Self-Attested) प्रति नामांकन-पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। 7. कॉलेजियम का कोई भी निर्वाचित सदस्य केवल एक ही उम्मीदवार के नामांकन प्रपत्र पर प्रस्तावक (Proposer) अथवा अनुमोदक (Secunder) के रूप में हस्ताक्षर कर सकता है। 8. प्रत्येक उम्मीदवार को अपने नामांकन प्रपत्र के साथ 21,000/- रुपये की नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी जमा करनी होगी।


Returning Officer
C.I.S.K.S.S. (P.)
Fatehpur-Pundri